न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–180 / 2010

मिथिलेश कुमार चौधरी वगैरहकृ.....वादीगण

बनाम

रामबलि राय वगैरह.....प्रतिवादीगण

21.07.25 अभिलेख आज वादी की ओर से आदेश 151 सी.पी.सी. के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक–24.02.2025 तथा उसके तत्संबंधित प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–21.04.2025 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

वादी ने अपने आवेदन में निवेदन किया है कि वर्तमान वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादी का वर्तमान वाद, प्रतिवादी प्रथम पक्ष के नाम पर प्रतिवादी द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक–17.06.2010 को निष्पादित दस्तावेज को अवैध, शून्य एवं निष्क्रिय घोषित करने हेतु लाया गया है जिसमें वादी की ओर से साक्ष्य के लिए दिनांक–06.01.2025 को नियत किया गया, परन्तु उसी दिन को वादी को उनकी ओर से साक्षी किशोर राय का साक्ष्य होना था, परन्तु वादी के अधिवक्ता अपे महाकुंभ दौरे पर थे जिस कारण साक्ष्य परक्षण पत्र दाखिल करने में वादी असमर्थ रहे तथा अगली तिथि दिनांक–27.01.2025 अधिवक्ता की मृत्यु के कारण सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अनुपस्थित रहे तथा परन्तु दिनांक–09.09.2024 एवं 11.11.2024 को भी उसी कारण से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो सका, जिसके पश्चात् दिनांक–10.02.2025 को वादी को यह पता चला कि न्यायालय द्वारा दिनांक–25.07.2024 को पारित आदेश में वादी को आगामी तीन तिथियों में अपना साक्ष्य समाप्त करने का निर्देश दिया था जो वादी को पूर्व ज्ञान में नही था, जबकि वादी को अपने वाद के समर्थन में 22 गवाहों की सूचि दाखिल की है जो तीन तिथियों में सम्भव नहीं है। वादी को अपना वाद साबित करने के लिए साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिया गय है जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई सम्भव नहीं है तथा यदि उपरोक्त न्यायालयी आदेश दिनांक–25.07.2024 एवं 0.01.2025 को वापस लिया जाता है तो वादी साक्ष्य प्रस्तुत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अतः निवेदन है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक25.07.2024 एवं 06.01.2025 को वापस लेते हुए वादी को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए।

प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से वादी के आवेदन का विरोध करते हुए उसे खारिज करने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में दिनांक–06.01.2025 को वादी साक्ष्य बन्द किया गया तत्पश्चात् अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया, परन्तु अभिलेख अवलोकर से प्रतीत होता है कि वादी को साक्ष्य हु पर्याप्त अवसर नहीं मिला और न्यायालय आदेश दिनांक–25.07.2024 के माध्यम से वादी को मात्र तीन तिथि ही साक्ष्य हेतु प्रदान किया गया, जिसमें भी अधिवक्ता निधन के कारण न्यायालय कार्य बाधित रहने के कारण वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला इसलिए वादी को पुनः साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना वाद के त्वरित निष्पादन में विलंब को प्रदर्शित करेगा, परन्तु वादी को साक्ष्य हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। तदनुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन को मो0 1000 / – रुपये खर्च प्रतिवादी प्रथम पक्ष को अदा किए जाने के शर्त पर स्वीकृत किया जाता है तथा आदेश दिनांक–25.07.2024 एवं 06.01.2025 को वापस लेते हुए अभिलेख पुनः वादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि अगली छः तिथियों में अविलंब अपना साक्ष्य पूर्ण करें।

वाद दिनांक– 18-08-2025 वास्ते पुनः वादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।

अवर न्यायाधीश,

शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।